न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 49/2022

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		सांवलचन्द पुत्र आसुलाल जाति जैन निवासी नाथानीयों का वास, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स श्याम ट्रेडिंग क0 धोरीमन्ना फर्म मालिक एवं खाद्य अनुज्ञापत्रधारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.06.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स श्याम ट्रेडिंग क0 धोरीमन्ना** पर निरीक्षण दिनांक **30.10.2021** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड हास्य (500 जार पैकिंग)** जो एक कार्टून में 12 जार में रखा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1454** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड हास्य (500 जार पैकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड हास्य (500 जार पैकिंग)** [illegible] **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये [illegible] अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/ऐतराज प्रकट नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी [illegible] मानक अधिनियम, 2006 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की एक छोटी सी किराणे की दुकान है जिस पर परचून की सामग्री बेचकर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अप्रार्थी किसी भी पदार्थ का मैन्युफैक्चरर नहीं है तथा न ही पैकिंग करता है। वह केवल कृषि मण्डी से सामग्री खरीदकर फुटकर मे विक्रय कर अपना कारोबार चलाता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स भरत ट्रेडिंग कम्पनी बी–7 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर से खरीदा है जिसका बिल संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा पैकिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किये बिना डिब्बाबंद स्थिति में प्रश्नगत घी का क्रय किया एवं उसी अवस्था में उसका बेचान किया है। अप्रार्थी द्वारा सद्भावनापूर्वक व्यापार करने के आशय से उक्त घी खरीद कर उसका बेचान उसी अवस्था में किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक आने में अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की है। जाने, अनजाने व नासमझी में अप्रार्थी द्वारा हुई गलती को क्षमा करते हुए उसके विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जावे तथा कम से कम जुर्माना कर न्याय देने की कृपा करें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.12.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **B.R. Reading at 40^0 C 40.0 to 43.5** के मुकाबले **44.0** तथा **Test for foreign fat** का मानक स्तर **should be absent** के मुकाबले **foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि वह किसी भी पदार्थ का मैन्युफैक्चरर नहीं है तथा न ही पैकिंग करता है। वह केवल कृषि मण्डी से सामग्री खरीदकर फुटकर में विक्रय कर अपना कारोबार चलाता है। अप्रार्थी द्वारा पैकिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किये बिना डिब्बाबंद स्थिति में प्रश्नगत घी का क्रय किया एवं उसी अवस्था में उसका बेचान किया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये . 250000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested